महत्वपूर्ण/आवश्यक

पत्र संख्या–स0नि0–विभागीय भवन–दिव्यांगजन हितैषी/ 2022–23/ 453 **/राज्य कर**

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– अपर आयुक्त राज्य कर,
नोयडा जोन नोयडा।

2– समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उ0 प्र0।

3– अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0 प्र0, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक 03 नवम्बर, 2022**

विषयः– राज्य कर विभाग के विभागीय/किराये पर संचालित कार्यालय भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उ0 प्र0 शासन के पैत्र संख्या–राज्य कर अनुभाग–3–1277/11–3–2022 दिनांक 20.09.2022 (छायाप्रति संलग्नों सहित), के साथ अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन के पत्र दिनांक 26.08.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में वांछित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

:– निर्धारित प्रारूप –:

विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या, जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाया जा चुका है।	**विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या, जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधा रहित बनाया जाना अवशेष हैं।**

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने **अधीनस्थ कार्यालयों से सम्बन्धित वांछित सूचना/विवरण निर्धारित प्रारूप में जोनवार तैयार कराकर बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये दिनांक 10.11.2022 तक विशेष पत्रवाहक/ई–मेल ctconshqlu-up@nic.in के माध्यम** से प्रत्येक दशा में मुख्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

D.C.(IT) 03/11/2022 3191

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर आयुक्त राज्य कर,
प्रभार– अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उ0 प्र0, लखनऊ।

संख्या—1277 / 11—3—2022

प्रेषक,

सुनील यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग—3 लखनऊ::दिनाँक:: 20 सितम्बर, 2022

विषयः राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनाँक 26—08—2022 छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा पत्र में वांछित सूचना को निम्न प्रारूप पर शासन को 01 सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी / गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या, जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी / बाधा रहित बनाया जा चुका है।	विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी / गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या, जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी / बाधा रहित बनाया जाना अवशेष है।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(सुनील यादव)
उप सचिव।

अपर आयुक्त (प्र०)

आयुक्त
21.9.22

JC (अपील) /
JC (…)

1687

अपर आयुक्त (ग्रेड-1)
22-9-2022

34
23-9-22

398

श्री …… / … आ० का० करें

ज्वा० कमि० (…)

I/205600/2022

1277/11-3-22

अनुस्मारक
महत्त्वपूर्ण/तत्काल

प्रेषक,

हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2022

विषयः राज्य सरकार के भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-74/2022/195783/2022/File No.65-2013/2/2019-2 दिनांक 28.07.2022, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-44 व 45 तथा उक्त के क्रम में निर्गत शासनादेशों में प्रावधानित प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रकरण में और उनसे संबंधित दिव्यांगजन हितैषी भवनों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को दिनांक 12.08.2022 तक उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में कृत कार्यवाही एवं वांछित सूचना से अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। अनुरोध है कि कृपया मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश दिनांक 28.07.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-44 व 45 तथा उक्त के क्रम में निर्गत शासनादेशों में प्रावधानित प्रावधानों के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने और भविष्य में होने वाले नवनिर्माणों में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य रखे जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने एवं निर्धारित प्रारूप वांछित सूचना तत्काल दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वि.स.(SKM) 4422/PS/ST/22

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
राज्य कर विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(हेमन्त राव)
अपर मुख्य सचिव।

तदसंख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

06-09-22
(सर्वज्ञ राम मिश्र)
विशेष सचिव
राज्य कर विभाग
उ० प्र० शासन।

आज्ञा से,
हेमन्त राव,
अपर मुख्य सचिव।

S.O.3
आयुक्त को प्रा. का.-3
06.09.22

Signed by हेमन्त राव
Date: 25-08-2022 20:47:30
Reason: Approved

संख्या-74 /2022/195783/2022/File No.65-2013/2/2019-2

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2022

विषयः राज्य सरकार के भवनों को "दिव्यांगजन हितैषी" बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 निर्गत की गयी है। उक्त अधिनियम की धारा-44 एवं 45 के अन्तर्गत भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निम्न व्यवस्थायें दी गयी हैं:

"धारा-44 (1) No establishment shall be granted permission to build any structure if the building plan does not adhere to the rules formulated by the Central Government under section 40.

(2) No establishment shall be issued a certificate of completion or allowed to take occupation of a building unless it has adhered to the rules formulated by the Central Government.

धारा-45 (1) All existing public buildings shall be made accessible in accordance with the rules formulated by the Central Government within a period not exceeding five years from the date of notification of such rules:

Provided that the Central Government may grant extension of time to the States on a case to case basis for adherence to this provision depending on their state of preparedness and other related parameters.

(2) The appropriate Government and the local authorities shall formulate and publish an action plan based on prioritization, for providing accessibility in all their buildings and spaces providing essential services such as all primary health centers, civil hospitals, schools, railway stations and bus stops."

2. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाने के लिये विभागीय स्रोतों से समुचित बजट प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने एवं भविष्य में जब भी किसी शासकीय भवन का नवनिर्माण कराया जाये, तो उसमें दिव्यांगजन हितैषी प्राविधान अवश्य सुनिश्चित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-1936/65-2-2018-41(विविध)/2018 दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं। यह संज्ञान में आया है कि राज्य सरकार के पूर्व निर्मित सरकारी भवनों एवं अन्य भवन जो अभी निर्माणाधीन हैं, को अभी दिव्यांगजन हितैषी नहीं बनाया गया है, जिस कारण से दिव्यांगजन हेतु बाधारहित

वातावरण का सृजन नहीं हो पा रहा है। शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-40390/2020/65-2013/2/2019-2, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-5/2021/65-2013/2/ 2019-2, दिनांक 15.01.2021, शासनादेश संख्या-14/2021/आई/48603/2021/65-2013/2/2019-2, दिनांक 02.02.2021, शासनदेश संख्या-आई/72786/2021/ 65-2013/2/2019-2, दिनांक 22.06.2021 व शासनादेश संख्या-आई/144901/2022/65-2013/2/ 2019-2, दिनांक 04.03.2022 निर्गत किये गये हैं।

3. यह भी अवगत कराना है कि भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सभी भवनों में दिव्यांगजन एवं वृद्ध व्यक्तियों की पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित बनाये जाने के लिये Harmonized Guidelines and Space Standards for Barrier Free Environment for Persons with Disabilities and Elderly Persons,2016" निर्गत किया गया था, उसके स्थान पर अब भारत सरकार द्वारा नयी गाइडलाईन "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" निर्गत की गयी है, जिसमें भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के बारे में विस्तार से निर्देश दिए गए हैं। उक्त गाइडलाईन CPWD व NIUA website (cpwd.gov.in and niua.org) पर उपलब्ध है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 04 अक्टूबर, 2018, 18 दिसम्बर, 2020, 15 जनवरी, 2021, 02 फरवरी, 2021, 22 जून, 2021 व 04 मार्च, 2022 में दिये गये प्राविधानों के तहत पूर्व निर्मित सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी बनाये जाने के लिये विभागीय बजट स्रोतों से समुचित प्राविधान कराकर यथावश्यक निर्माण कार्य सुनिश्चित कराये जाने और भविष्य में होने वाले नवनिर्माणों में दिव्यांगजन हितैषी प्राविधानों को अवश्य रखे जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें। इसके साथ ही जो भवन दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बना लिये गये हैं और जो अभी तक दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित नहीं बनाये जा सके हैं, उसके संबंध में संलग्न प्रारूप पर सूचना दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को दिनांक 12.08.2022 तक उपलब्ध कराने एवं उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 29-07-2022 12:05:14
Reason: Approved

दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

I/195783/2022

तदसंख्या/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हेमन्त राव
अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक

प्रदेश के सरकारी/गैर सरकारी भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रारूप

विभाग का नाम:-

दिनांक:-

विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जा चुका है।	विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी/गैर सरकारी ऐसे भवनों की संख्या जिन्हें दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाया जाना अवशेष है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।